- eq[;ea=h dU;knku ;kstuk ¼fDyd djsa½
- eq[;ea=h etnwj lqj{kk ;kstuk ¼fDyd djsa½
- fu%'kDr fookg izksRlkgu ¼fDyd djsa½
- 6 o"kZ dh vf/kd vk;q ds cgq fodykax ekufld :Ik ls vfodflr fu%'kDr tu ds fy, lgk;d vuqnku ;kstuk ¼fDyd djsa½
- fu%'kDr Nk=ofRr ¼fDyd djsa½
- lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstukUrxZr fujkfJr o`) 0;fDr;ksa dks isa'ku ¼fDyd djsa½
- lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstukUrxZr fo/kok@ifjR;Drk efgykvksa dks isa'ku¼fDyd djsa½
- lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstukUrxZr fu%'kDrtuksa dks isa'ku ¼fDyd djsa½
- bfnjk xka/kh jk"Vªh; o`)koLFkk isa'ku ;kstuk ¼fDyd djsa½
- bfnjk xka/kh jk"Vªh; fo/kok isa'ku ;kstuk ¼fDyd djsa½
- bfnjk xka/kh jk"Vªh; fu%'kDr isa'ku ;kstuk ¼fDyd djsa½
- jk"Vªh; ifjokj lgk;rk ;kstuk ¼fDyd djsa½
- vke vkneh chek ;kstuk ¼fDyd djsa½
- tuJh chek ;kstuk ¼fDyd djsa½

¼ lh-,y-iUFkkjh ½
mi lapkyd] lkekftd U;k;] ftyk flouh

eq[;ea=h dU;knku ;kstuk

;kstuk dk Lo:i %&

निराश्रित/निर्धन एवं जरूरतंद परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता।

ik=rk dh 'krsZ %&

1 मध्यप्रदेश की निवासी हो तथा परिवार मध्यप्रदेश मे निवासरत हो।

2 गरीब एवं जरूरतमंद निराश्रित एवं निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्तता जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

3 कम से कम पांच कन्याओं के विवाह, सामूहिक विवाह में शामिल होने की दशा में ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk %&

योजनान्तर्गत प्रति आवेदक के मान से 9000/– कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु इसके अतिरिक्त प्रति आवेदक रूपये 1000/– सामूहिक विवाह के आयोजन के खर्चो की प्रतिपूर्ति हेतु ।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost %&

निर्धारित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में सीधे आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन का निर्धारित प्रपत्र जनपद पंचायत एवं नगर पालिका/नगर पंचायतों में उपलब्ध है।

vko';d nLrkost %&

1. राशन कार्ड (यदि है तो)
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. आयु प्रमाण पत्र
4. बी.पी.एल. कार्ड (यदि नहीं है तो पटवारी का आय प्रमाण–पत्र)

vkosnu fdlls iLrqr djuk gS %&

ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; %&

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 533 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहाॅ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

e[;e=h etnj lj{kk ;kstuk] 2007

;kstuk dk Lo:Ik %&

भूमिहीन ग्रामीण खेतीहर मजदूर परिवार को सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता ।

ik=rk dh 'krs &

1. भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हो, तथा मध्यप्रदेश भवन एव अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत पंजीबद्ध नहीं हो।

   परिवार :— परिवार का अर्थ पंजीबद्ध भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पति/पत्नि, आश्रित बच्चे, आश्रित माता—पिता, आश्रित विधवा अथवा परित्यक्तता पुत्री से है।

2. परिवार का मुखिया तथा परिवार में कार्य करते हुये आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

;kstuk d rgr n; ykHk %&

1 ilfr lgk;rk %&

पंजीबद्ध मजदूर की पत्नि अथवा पंजीबद्ध महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये

(1) 6 सप्ताह की मजदूरी के बराबर राशि।

(2) पितृत्व अवकाश के रूप मे शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के बराबर राशि

(3) प्रसूती व्यय के रूपये 1000/— की नगद राशि यदि जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ।

2 Nk=ofRr@e/kkoh Nk= i:Ldkj %&

प्रथमतः संबंधित विभाग की योजना में पात्रता न आने की दशा में ही इस योजनान्तर्गत पंजीबद्ध मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरूस्कार का लाभ आदिम जाति एवं अनुसूचितजाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :—

अ) प्रथमतः संबंधित विभाग की योजना में पात्रता न आने की दशा में पंजीबद्ध मजदूर के बच्चे जो हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किए जाने पर ऐसे छात्र को नगद रूपये 5000/— एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। यह राज्य स्तरीय पुरूस्कार 26 जनवरी को भोपाल मे आयोजित समारोह में वितरित किए जा सकते है।

ब) यदि किसी वर्ष कोई भी छात्र प्रावीण्य सूची में स्थान नहीं पाता है तो इन परीक्षाओं में प्रदेश मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र तथा छात्रा को रूपये 2500/— का पुरूस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

स) प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर की परीक्षा में सर्वाधित अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को एवं इसी प्रकार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को भी पुरूस्कृत किया जावेगा। बशर्ते कि वे उक्त परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हो/हुई हो। यह पुरूस्कार 1000/— का होगा तथा इसके अतिरिक्त एक प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया जाएगा। यह पुरूस्कार संभागीय स्तर पर या लि स्तर आयोजित अन्य समारोह में वितरित किया जाएगा।

3 fookg lgk;rk %&

पंजीबद्ध महिला मजदूर के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध मजदूरों की दो पुत्रियों की सीमा तक कम से कम 5 महिला मजदूरों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 9000/— प्रति विवाह सहायता देय होगी। सहायता राशि के संबंध में समय—समय पर शासन के जारी निर्देशानुसार देय होगी ।

(सी.एल.पन्थारी)

उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

4 fpfdRlk lgk;rk %&

प्रथमतः संबंधित विभाग की योजना में पात्रता न आने की दशा में पंजीबद्ध मजदूरों के परिवारों के किसी सदस्य के बीमार होने की द   ा में भर्ती होने पर शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000/– रूपये की सीमा तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वीकृत की जावेगी। इस हेतु दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के मापदण्ड (समस्त बी.पी.एल. परिवार) लागू होंगे।

5 n?kVuk e eR;q dh fLFkfr e vuqxg lgk;rk %&

पंजीबद्ध मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अन्त्येष्टि के लिये रूपये 2000/– की तत्काल सहायता राशि एवं पात्रता/नियमानुसार अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पंजीयन होना चाहिये।

vkosnu fdls iLrqr djuk g %&

ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन पश्चात् उक्त योजना के आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भेजे। प्रकरण स्वीकृत करने का अधिकार जनपद पंचायत को है।

xr o"k@bl o"k dk y{; %&

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 914 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

fu%'kDr fookg ikRlkgu

;kstuk dk Lo:Ik %&

चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के विवाह प्रोत्साहन आर्थिक सहायता।

ik=rk dh 'krZ %&

1. दम्पत्ति में से कोई एक निःशक्त या दोनों सदस्य निःशक्त होना चाहिये।
2. दम्पत्ति भारत का नागरिक हो, दम्पति मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से मध्यप्रदेश में निवासरत हो।
3. दम्पत्ति में से किसी पर भी आपराधिक मामले न्यायालय में दर्ज न हो।
4. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
5. दम्पत्ति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
6. दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।
7. दम्पत्ति में किसी एक सदस्य का कोई जीवित पति या पत्नि न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
8. प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पत्ति को संयुक्त रूप से देय होगी।
9. प्रोत्साहन प्राप्त दम्पत्ति का यदि पॉच वर्ष से पूर्व तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/विवाह–विच्छेद या विवाह विघटन हो जाता है तो दम्पत्ति को देय सम्पूर्ण प्रोत्साहन राशि सरकार को वापस करना होगा अन्यथा भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूली योग्य होगी।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

25000/– प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा पत्र

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

निर्धारित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय में सीधे आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज :– 1–मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 2– विवाह संबंधी विवरण 3–आवेदक दम्पत्ति द्वारा परिशिष्ट दो में विहित प्रारूप में 50/– के स्टाम्प पेपर (न्यायिक) पर हस्ताक्षर शपथ पत्र। 4–आवेदन पत्र पर वर–वधु के नवीनतम फोटोग्राफ प्रमाणित कर चस्पा करें।

vkosnu fdlls iLrqr djuk gS &

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 23 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

vkosnu i= ds fy, ;gk¡ fDyd djsa A

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

Ng o"k lः vf/kd vk;ु dः cgqfodykx@ ekufld :i lः vfodflr fu%'kDrtu dः fy;ः lgk;d vuqnku ;kstuk] 2009

;kstuk dk Lo:lk %&

छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/ मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krs &

1 बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

2 बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

3 बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के पास जिला मेडीकल बोर्ड का कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता (बहुविकलांग/ मानसिकबाधित) का प्रमाण पत्र होना चाहिये।

4 बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के माता/पिता/ पालक या अभिभावक का नाम गरीबी रेखा सर्वे सूची में अंकित होना चाहिये।

5 संबंधित निःशक्तजन एवं उसके माता/पिता/पालक या अभिभावक का संयुक्त बचत खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक या सहकारी बैक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक में होना अनिवार्य है।

6 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रैल माह में स्वयं के जीवित होने संबंधी प्रमाण पत्र सरपंच या नगरपालिका के पार्षद से प्रमाणित कराकर निर्धारित प्रारूप ''ख'' में प्रस्तुत करना होगा।

;kstuk dः rgr nः; ykHk &

500/— प्रतिमाह ।

;kstuk grः vkonu dk rjhdk ,oः vko';d nLrkost &

निर्धारित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय में सीधे आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

vko';d nLrkost &

1. गरीबी रेखा का कार्ड
2. आयु प्रमाण पत्र
3. मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र

vkonu fdlः iLrqr djuk gः &

ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009—10 में 25 हितग्राहियों को लाभान्वित कया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk ds vUrxZr fujkfJr] o`) 0;fDr;ksa dks isa'ku

;kstuk dk Lo:i &

निराश्रित वृद्ध, जनो को आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krsZ &

1 60 वर्ष से अधिक 65 वर्ष से कम आयु के निराश्रित वृद्ध जो जीविकोपार्जन में असमर्थ हो, तथा उनके भरण पोषण के लिये सहारा देने वाला न हो।

2 किसी प्रकार की कोई पेंशन न मिल रही हो।

3 म.प्र. का निवासी हो।

fujkfJr 0;fDr;ksa ls vfHkizk; %&

1 निराश्रित हो अर्थात उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो दी हो और उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो।

2 भूमिहीन होने के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण पोषण के लिये सहायता देने वाले कोई न हो।

3 यदि उसके पुत्र/पौत्र भूमिहीन है या उनके पास भूमि या सम्पत्ति होते हुये भी जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त आमदनी न हो।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

ऐसे वृद्ध महिला एवं पुरूषों, को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता होती है, एवं 150/- रूपये प्रतिमाह के मान से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

;kstuk grsq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

आवेदन फार्म निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित प्रमाण पत्र
निराश्रित/आयु/अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र
(ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर पंचायत का प्रमाण पत्र)

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित मुख्य नगपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो को है ।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2001 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

lkekftd lqj{kk i'ku ;ktukrxr fo/kok@ifjR;Drk efgykvk dk i'ku

;ktuk dk Lo:i &

विधवा/परित्यक्तता महिलाओं को आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krs &

1 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्तता महिला।
2 जिसे किसी प्रकार की पेंशन न मिल रही हो।
3 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

fujkfJr 0;fDr ;k ls vfHkizk; %&

निराश्रित हो अर्थात उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो दी हो और उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो।

1 भूमिहीन होने के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण पोषण के लिये सहायता देने वाले कोई न हो।
2 यदि उसके पुत्र/पौत्र भूमिहीन है या उनके पास भूमि या सम्पत्ति होते हुये भी जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त आमदनी न हो।

;ktuk d rgr n; ykHk &

ऐसे विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता होती है, एवं 150/– रूपये प्रतिमाह के मान से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &
vkonu Qke fu/kkfjr izk:i e mYyf[kr izek.k i= %&

1 निराश्रित/आयु/अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगर पालिका/ नगर पंचायत का प्रमाण पत्र)
2 परित्यक्ता संबंधी प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगर पालिका/ नगर पंचायत का प्रमाण पत्र)
3 विधवा महिला के संबंध में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगर पालिका/ नगर पंचायत का प्रमाण पत्र)

vkonu fdls iLrqr djuk g &

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित मुख्य नगपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। विधवा पेंशन के प्रकरण जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो के अनुशंसा पर जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते है।

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 7254 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstukrxZr fu%'kDrtuksa dks isa'ku

;kstuk dk Lo:i &

गरीब परिवार के अध्ययनरत निःशक्त बच्चों को आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krsZ &

1 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्ति। ;k

2. 6 से 14 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे निराश्रित तथा गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के निःशक्त बालक/बालिका जो शाला में अध्ययनरत है।

fujkfJr 0;fDr ;ksa ls vfHkizk; %&

1 निराश्रित हो अर्थात उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो दी हो और उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो।

2 भूमिहीन होने के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण पोषण के लिये सहायता देने वाले कोई न हो।

3 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता संबंधी निःशक्तता प्रमाण पत्र।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

ऐसे विकलांग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता होती है, एवं 150/– रूपये प्रतिमाह के मान से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &
vkosnu QkeZ fu/kkZfjr izk:i esa mYysf[kr izek.k i= %&

1 विकलांगता प्रमाण पत्र, (मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र)

2 निराश्रित/आयु/अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर पंचायत का प्रमाण पत्र)

3 6 से 14 वर्ष की आयु के विकलांग शालेय छात्र के संबंध में प्रमाण पत्र (संबंधित विद्यालय का प्रमाण पत्र)

vkosnu fdlsa izLrqr djuk gS &

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित मुख्य नगपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो को है।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 3748 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

bfnjk xk/kh jk"Vh; o)koLFkk i'ku ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krs &

1. 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पुरूष एवं महिला जिन्होंने जीवकोपार्जन एवं अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो दी है।
2. भरण पोषण के लिये कोई सहारा देने वाला नहीं है।
3. भूमि एवं सम्पत्ति होने पर भी जीवकोपार्जन के लिये पर्याप्त आय न हो।
4. हितग्राही म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. हितग्राही का नाम गरीबी रेखा के परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए।
6. किसी प्रकार की कोई पेंशन न मिल रही हो।

;ktuk d rgr n; ykHk &

पात्र वृद्ध महिला एवं पुरूषों, को पेंशन की पात्रता होती है, उन्हें 275/— रूपये प्रतिमाह के मान से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

;ktuk gr vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &
vkonu Qke fu/kkfjr ik:i e mYyf[kr iek.k i= %&

1 65 वर्ष से अधिक आयु होने संबंधी आयु प्रमाण पत्र।

2 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने संबंधी सर्वे सूची प्रमाण—प्रत्र

vkonu fdl iLrr djuk g &

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर पंचायत को आवेदन प्रस्तुते किय जाते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो को है।

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009—10 में 22598 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

bfnjk xk/kh jk"Vh; fo/kok i'ku ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष आयु समूह की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krs %&

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 64 वर्ष आयु समूह की विधवा महिला।
2. किसी प्रकार की कोई पेंशन न मिल रही हो।

;ktuk d rgr n; ykHk &

ऐसी महिलाओं को पेंशन की पात्रता होती है, उन्हें 200/— रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &

vkonu Qke fu/kkfjr ik:i e mYyf[kr iek.k i= &

1 40 से 64 वर्ष आयु समूह संबंधी आयु प्रमाण पत्र।
2 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने संबंधी सर्वे सूची प्रमाण—प्रत्र।
3 आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र।

vkonu fdl iLrr djuk g &

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। विधवा पेंशन के प्रकरण जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो के अनुशंसा पर जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते है।

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009—10 में 7959 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

bfnjk xk/kh jk"Vh; fu%'kDr i'ku ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष आयु समूह के 80 प्रतिशत या बहुविकलांग निःशक्तताग्रस्त निःशक्त जनों को ाभ दिया जाता है।

ik=rk dh 'krs &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष आयु समूह के 80 प्रतिशत या बहुविकलांग निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति।

;ktuk d rgr n; ykHk &

पात्र निःशक्तजनों को 200/– रूपये प्रतिमाह के मान से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

;ktuk gr vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &

vkonu Qke fu/kkfjr ik:i e mYyf[kr iek.k i= %&

1 मेडिकल बोर्ड का 80 या इससे अधिक निःशक्ता का प्रमाण पत्र।

2 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने संबंधी सर्वे सूची प्रमाण–प्रत्र।

vkonu fdl iLrr djuk g &

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो को है।

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 2310 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

jk"Vh; ifjokj lgk;rk ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता ।

ik=rk dh 'krs %&

1. परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो।
2. परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जावे, जिसकी कमाई से ही अधिकांशतः परिवार का गुजारा चलता हो।
3. मृत्यु दिनॉक को मृतक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक यो 65 वर्ष से कम हो।

;ktuk d rgr n; ykHk %&

ऐसे परिवार के आश्रितों को सहायता राशि की पात्रता होती है, उन्हें 10000/— रूपये एक मुश्त भुगतान किया जाता है।

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot %&
vkonu Qke fu/kkfjr ik:i e mYyf[kr iek.k i= %&

1 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने संबंधी प्रमाण पत्र।
2 मृत्यु प्रमाण पत्र।

vkonu fdl iLrqr djuk g %&

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच/सचिव एवं नगरीय क्षेत्र के लिए संबंधित नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद पंचायत/नगरपालिका/नगरपंचायतो को है।

xr o"k@bl o"k dk y{; %&

वित्तीय वर्ष 2009—10 में 839 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

[आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।]

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

fu%'kDr Nk=ofRr

;ktuk dk Lo:i &

सभी वर्गो के ऐसे निःशक्त छात्र छात्रायें जो पूर्व प्राथमिक शाला से आगे स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं/व्यवसायिक में नियमित रूप से शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

ik=rk dh 'krs %&

1. सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के लिये पालक/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रूपये 96,000/—वार्षिक (रूपये छियानवे हजार मात्र) एवं 40 प्रतिशत निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
2. कक्षा 8 वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर (9 वीं) में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर एकमुश्त रूपये 2500/—(रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक (12 वीं) की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त रूपये 3000/—(रूपये तीन हजार मात्र) प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी ।
3. तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में डिप्लोमा/पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत निःशक्त बालक/बालिकाओं को स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को अतिरिक्त रूप से उपरोक्त दर्शाये अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी प्रदाय की जायेगी।

;ktuk ds rgr ns; ykHk %&

क्रं.	शैक्षणिक स्तर	कक्षा	जाति/वर्ग	प्रतिमाह दर (गैर छात्रावासी) प्रतिमाह		प्रतिमाह दर (छात्रावासी) प्रतिमाह	
				बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	प्राथमिक	1 से 5 तक	समस्त	25	35	—	—
2	माध्यमिक	6 से 8 तक	समस्त	30	40		
3	उच्चतर माध्यमिक	9 से 12 तक	सामा./अ.पि.वर्ग	110	120	500	500
4	उच्चतर माध्यमिक	9 से 12 तक	अ.जा./अ.ज.जा.	60	60	50	60
5	स्नातक	बी.ए.,बी.काम.एवं बी.एस.सी.	सामा./अ.पि.वर्ग	250	250	500	500
6	स्नातक	बी.ए.,बी.काम.एवं, बी.एस.सी.	अ.जा./अ.ज.जा.	65	65	60	60
7	स्नातकोत्तर	एम.ए.,एम.कॉम,एवं एम.एस.सी.	सामा./अ.पि.वर्ग	300	300	525	525
8	स्नातकोत्तर	एम.ए.,एम.कॉम,एवं एम.एस.सी.	अ.जा./अ.ज.जा.	60	60	50	50

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के लिये पालक/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रूपये 96,000/—वार्षिक (रूपये छियानवे हजार मात्र) एवं 40 प्रतिशत निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

vkonu fdls izLrqr djuk gS &

शहरी क्षेत्र में उपसंचालक सामाजिक न्याय ग्रामीण क्षेत्र मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009—10 में 1662 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

vke vkneh chek ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिये सहायता

ik=rk dh 'krs %&

1. केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो योजना अन्तर्गत बीमित सदस्य
2. हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक होगी
3. योजना अन्तर्गत बीमा सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुये आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

Hkfeghu dk vFk %&

oxZ 1 %& राज्य में कम से कम 12 वर्ष से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटुम्ब के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि न हो।

oxZ 2 & कोई भूमि न हो अथवा पहाडी अथवा पथरीली भूमि में एक हेक्टयर या उससे कम असिंचित भूमि हो अथवा अन्य प्रकार की भूमि में आधा हेक्टयर अथवा उससे कम असिंचित भूमि हो अथवा अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से (2) अथवा (3) जैसी स्थिति हो के अन्तर्गत निर्धारित रकबे से कम भूमि हो अथवा अपने परिवार के सदस्यो का छोडकर अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऐसी भूमि जिसमें उसका व्यक्तिगत हिस्सा उपयुक्त (2) अथवा (3) जैसी स्थिति हो, के अन्तर्गत निर्धारित रकबे से कम हो।

एक भूमिहीन व्यक्ति वर्ग–2 उपबंधो के परियोजन के लिये एक हेक्टयर सिंचित भूमि दो हेक्टयर असिंचित भूमि के बराबर मानी जावेगी।

;ktuk dk rgr ns; ykHk &

1. सामान्य मृत्यु होने पर 30000/–
2. दुर्घटना पर मृत्यु होने पर अथवा स्थाई रूप से अपंगता होने पर 75000/–
3. दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर 37500/–
4. योजना के तहत् बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये एक मुश्त शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा जिसमें कक्षा 9वी से 12वी में अध्ययनरत केवल दो बच्चो को 100/– प्रति माह प्रति परिवार शिक्षावृत्ति दी जाती है।

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &

1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. आवेदक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होने का प्रमाण पत्र
3. ग्राम पंचायत में योजनान्तर्गत पंजीयन क्रमांक
4. दुर्घटना होने पर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रति एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट
5. पुलिस फाइनल रिपोर्ट
6. अपंगता होने पर विकलांग प्रमाण पत्र

vkonu fdlls iLrqr djuk gS &

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 57 दावा प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे गये। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी

tuJh chek ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवार हेतु

ik=rk dh 'krs &

1. केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण लोग जो इस योजना के तहत् बीमित योजना के सदस्य है तथा शासन द्वारा संचालित/वित्त वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
2. हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक होगी।
3. परिवार का मुखिया यथा परिवार में कार्य करते हुये आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

;kstuk d rgr n; ykHk &

1. सामान्य मृत्यु होने पर 30000/–
2. दुर्घटना पर मृत्यु होने पर अथवा स्थाई रूप से अपंगता होने पर 75000/–
3. दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर 37500/–
4. योजना के तहत् बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये एक मुश्त शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा जिसमें कक्षा 9वी से 12वी में अध्ययनरत केवल दो बच्चो को 100/– प्रति माह प्रति परिवार शिक्षावृत्ति दी जाती है।

;kstuk gr vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &

1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का प्रमाण पत्र
3. ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर पंचायत में योजनान्तर्गत पंजीयन क्रमांक
4. दुर्घटना होने पर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रति एवं पोस्टर्माम रिपोर्ट
5. पुलिस फाइनल रिपोर्ट
6. अपंगता होने पर विकलांग प्रमाण पत्र

vkonu fdl iLrr djuk g &

ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं
शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत।

xr o"k@bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 95 दावा प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे गये। लक्ष्य निर्धारित नहीं।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

(सी.एल.पन्थारी)
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला सिवनी